न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए संख्या/4091/2003/दौसा

1- जगदीश पुत्र भौरीलाल
2- लक्ष्मीनारायण पुत्र भौरीलाल
3- धापा पत्नी धोला
4- हरनवी पत्नी रामकिशोर
5- ज्याना पत्नी गोकुल
समस्त जाति मीना निवासीयान सिण्डोली तहसील व जिला दौसा।

-अपीलांट्स

-बनाम-

1- बद्री पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण निवासी सिण्डोली तहसील व जिला दौसा।

-रेस्पोडेन्ट

खण्डपीठ
डॉ0 शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः-
1- श्री समीर अहमद, अभिभाषक अपीलांट्स
2- श्री जे0के0 पंत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

-निर्णय-

दिनांकः-12-03-2026

1- अपीलांट्स ने यह अपील भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकरी, जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय व डिक्री दिनांक 18-07-2003 जिसके द्वारा अपीलांट्स की अपील को खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा के समक्ष वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 पेश करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 56/1 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वादीगण की खातेदारी में था तथा उससे लगता हुआ साबिक खसरा नम्बर 52 प्रतिवादी/अपीलांट्स

की खातेदारी में था। दौराने सेटलमेंट वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 56/1 का रकबा समाप्त कर के प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 52 के नये खसरा नम्बर 153 बनाकर उसमें शामिल कर दिया जिससे वादीगण का रकबा कम हो गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 18-12-1991 के माध्यम से वादीगण के वादपत्र को खारिज किये जाने पर वादीगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 27-03-1992 के माध्यम से रिव्यू प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वादपत्र पर पारित पूर्व निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दावा स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 18-07-2003 पारित करते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट को तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा की मांग किये जाने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादी बिरदा की तलबी के आदेश प्रदान किये गये। रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा मृतक बिरदा की तामील कराये बिना व उसके हाजिर आये बिना उसकी ओर से फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर और गलत इकबालिया जवाब दावा पेश करवा दिया जबकि मृतक बिरदा हस्ताक्षर करता था। बिरदा पुत्र मंगला मीणा जाति से होने से निर्णय में धारा 42 बी का अतिलंघन भी हुआ है। जबकि मृतक बिरदा हस्ताक्षर करता था। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादीगण के वादपत्र को निर्णय व डिक्री दिनांक 18-12-1991 द्वारा खारिज कर दिया गया। वादीगण द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा मृतक बिरदा की बिना तामील व नोटिस दिये वादीगण के रिव्यू प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 27-03-1992 द्वारा स्वीकार करते हुए पूर्व निर्णय व डिक्री 18-12-1991 को अपास्त किया गया व वादीगण के वादग्रस्त भूमि के बाबत् खातेदारी अधिकारों

की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विधि विपरीत जाकर रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना अपील के तथ्यों व विचारण न्यायालय के निर्णय एवं साक्ष्यों का विवेचन किये मात्र सरसरी तौर पर आक्षेपित आदेश दिनांक 18-03-2003 पारित कर दिया गया। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि विपरीत जाकर सरसरी तौर पर आदेश पारित करने में तथ्यों एवं विधि संबंधी त्रुटि कारित की गई है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। लिहाजा अपीलांट्स की द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जावे।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादीगण/रेस्पोडन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा की मांग किये जाने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अत्यधिक मियाद बाहर लगभग 11 वर्ष पश्चात् अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर में अधिक आराजी होने के कारण दुरूस्ती की गई थी। अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट्स द्वारा मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर अपीलांट को अपील पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं माना है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत ही रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादपत्र को स्वीकार किया गया। प्रकरण में भूमि हस्तांतरण नहीं है बल्कि मात्र सेटलमेंट द्वारा रकबा संबंधी त्रुटि दुरूस्त की गई है। इसलिए निर्णय धारा 42 के प्रावधानों से उल्लंघित होना नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलांट्स की अपील खारिज की गई है, ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्य एवं विधिक प्रावधानों के अनुसरण में निर्णय/आदेश पारित किये गये हैं, लिहाजा अपीलांट्स द्वितीय अपील के माध्यम से भी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखे जावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 545, आरआरडी 1998 पेज 407, एआईआर 2004 कर्नाटक पेज 75,

एआईआर 2001 पेज 279 एससी, 2026 आरबीजे पेज 526 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

6- विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों एवं अभिलेख का गहन अध्ययन किया गया।

7- हस्तगत प्रकरण में वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वादपत्र पेश करते हुए आराजी जैर बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ-साथ सेटलमेन्ट के दौराने हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्ती की मांग इस आधार पर की गई कि वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 56/1 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वादीगण की खातेदारी में था उससे लगता हुआ साबिक खसरा नम्बर 52 था जो प्रतिवादी/अपीलांट्स की खातेदारी में था। दौराने सेटलमेंट वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 56/1 का रकबा समाप्त कर के प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 52 के नये खसरा नम्बर 153 बनाकर उसमें शामिल कर दिया, जिससे वादीगण का रकबा कम हो गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 18-12-1991 पारित करते हुए वादीगण के वादपत्र को इस आधार पर खारिज किया गया कि वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि दौराने सेटलमेन्ट रकबा कम हुआ हो। उक्त निर्णय व डिक्री पारित किये जाने पर वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर आदेश दिनांक 27-03-1992 के माध्यम से रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादपत्र पर पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री को कर प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में 32 एयर रकबा कम किया जाकर वादीगण/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज करने व प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 18-07-2003 द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया।

8- हमने अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं आक्षेपित आदेशों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा के समक्ष वादपत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को

दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी बिरदा का कोई तामीलशुदा नोटिस संलग्न नहीं है अतः यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी को नोटिस जारी होकर इसकी विधिवत् तामील भी करवा दी गई थी। पत्रावली में वाद स्वीकारोक्ति आशय का जवाब दस्तावेज संलग्न है जिस पर प्रतिवादी की अंगूठा निशानी होना बताया गया है, लेकिन अपीलार्थीगण की इसे बिरदा द्वारा ही प्रस्तुत करने बाबत् आपत्ति है। विचारण न्यायालय पत्रावली में जवाब प्रस्तुतकर्ता की पहचान तस्दीक, सत्यापन, किसी अधिवक्ता के मार्फत इसका पेश होना आदि के अभाव में अपीलार्थीगण की आपत्ति स्वीकार योग्य लगती है। विचारण न्यायालय द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपने पूर्व निर्णय को निरस्त कर दावा डिक्री करने में प्रतिवादी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया जो कि प्रक्रियात्मक विधि के अनुरूप नहीं है। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 27-03-1992 विधिसम्मत न होकर त्रुटिपूर्ण होना परिलक्षित है।

9- अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 18-07-2003 में अभिलिखित किया गया है कि ‘‘पत्रावली के अवलोकन से यह आईने की तरफ साफ दिखता हुआ है कि विवादास्पद आराजी रेस्पोडेन्ट की कब्जेकाश्त की है। अपीलांट की नियत में खोट आने के कारण ही यह अपील पेश की गई है। अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट की बेवजह राजस्व न्यायालय की ओर धकेल कर घसीटा है। अपीलांट का अगर विवादास्पद आराजी से वास्तव में ही कोई लगाव या संबंध था तो वे तकरीबन 10 साल तक चुप क्यों बैठे रहे, उन्हें तुरन्त कार्यवाही उसी समय करना चाहिए था। अपीलांट की नियत में खोट आने के कारण ही यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो अदालत का समय जाया करने के अलावा और कुछ नहीं है।’’ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को किन विधिक प्रावधानों के तहत खारिज किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक अस्पष्ट एवं अपुष्ट आदेश है। विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में प्रतिवादी की तामील न होकर विचारण न्यायालय में उसे पक्ष रखने का अवसर न मिलना, बिना नोटिस दिये रिव्यू स्वीकार कर लेना, फर्जी अंगूठा लगाकर फर्जकारीपूर्वक इकबालिया जवाब पेश होना, आदि महत्वपूर्ण आपत्तियों पर कोई विवेचन के साथ अपील निर्णीत की है। निर्णय में तथ्यों व साक्ष्यों पर भी कोई सार्थक विवेचन नहीं है। अतः हमारा सुविचारित मत है कि प्रथम अपील में पारित निर्णय भी कतई स्थापित रखने योग्य

नहीं है तथा दोनों मातहत न्यायालयों के आदेश निरस्तनीय होकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषण योग्य है।

<u>अतः आदेश है किः-</u> अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकरी, जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय व डिक्री दिनांक 18-07-2003 व अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा द्वारा पारित आदेश व डिक्री दिनांक 27-03-1992 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का यथोचित अवसर देते हुए बाद साक्ष्य सुनवाई प्रक्रियात्मक विधि की पालना करते हुए दावे को पुनः विधिसम्मत निर्णय द्वारा निस्तारित किया जावे। उभयपक्ष को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अग्रिम कार्यवाही हेतु विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा के समक्ष दिनांक 15-04-2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ0 शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य